

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय कुटुम्ब प्रबोधन योजना

इस योजना के लिए प्रशासन द्वारा सत्यापित किया जाने वाला सूचना प्रपत्र

- (1) कर्मचारी का नाम :-
- (2) पद का नाम :-
- (3) विभाग/अनुभाग :-
- (4) जी.जी.व्ही. आईडी नं. :-
- (5) मोबाइल नं. :-
- (6) ईमेल आईडी :-
- (7) आवासीय पता :-
- (8) विवाह विवरण :-
 - (i) दूल्हे/दुल्हन का नाम :-
 - (ii) कर्मचारी से संबंध (स्वयं/पुत्र/पुत्री):-
 - (iii) विवाह की तिथि :-
 - (iv) विवाह स्थल का विवरण :-
 - (v) संपर्क नं. :-

नोट:- यह योजना कर्मचारी/उनके बेटे/उनकी बेटी (दो बच्चों तक) की शादी के लिए लागू है।

शिक्षक/कर्मचारी का हस्ताक्षर

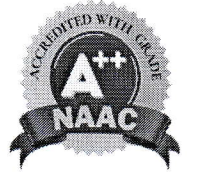
संलग्नक:- (1) शादी का कार्ड

सहायक कुलसचिव (प्रशासन)

द्वारा सत्यापित



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur
A Central University established by the Central Universities Act 2009 No. 25 of 2009



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय कुटुम्ब प्रबोधन योजना

पावती पची

- (1) योजना का लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारी का नाम :-.....
- (2) दूल्हे/दुल्हन का नाम और कर्मचारी से संबंध (स्वयं/पुत्र/पुत्री) :-.....
- (3) विवाह समारोह में भाग लेने वाले कर्मचारी का नाम (विश्वविद्यालय प्रतिनिधि) :-.....
- (4) विवाह की तिथि :-.....
- (5) कार्यक्रम का स्थान :-.....

मैं इस बात की पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं उपरोक्त विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ/हुई। मेरे द्वारा राशि.....
एवं दूल्हे/दुल्हन/कर्मचारी को उपहार दिनांक..... को प्रदाय किया गया।

दिनांक:-.....

विश्वविद्यालय प्रतिनिधि हस्ताक्षर